इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 431] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 जुलाई 2018—श्रावण 9, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2018

क्र. 12719-259-इक्कीस-अ (प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 जुलाई 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २९ सन् २०१८

मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, २०१८

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्ववर्ती शर्तें.
४. हितग्राहियों का रजिस्ट्रीकरण तथा सत्यापन.
५. लाभ.
६. मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि का गठन.
७. निदेश जारी करने की शक्ति.
८. विवाद समाधान.
९. नियम बनाने की शक्ति.
१०. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
११. व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २९ सन् २०१८

मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, २०१८

[दिनांक १६ जुलाई, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३१ जुलाई, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

बालिकाओं को विशेष अधिकार उपलब्ध कराना जिससे कि वे अपनी क्षमताओं को साकार करने में समर्थ हो सकें, ऐसा सामाजिक परिवेश सृजित करना जिसमें माता-पिता और समाज बालिकाओं का स्नेहपूर्ण संरक्षण एवं देखभाल करें और उससे संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, २०१८ है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "हितग्राही" से अभिप्रेत है, ऐसी बालिका जो रजिस्ट्रीकृत हो तथा योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने की हकदार हो;

(ख) "आश्वासन प्रमाण-पत्र" से अभिप्रेत है, हितग्राही के पक्ष में लाभ अधिप्रमाणित तथा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया प्रमाण-पत्र;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, योजना के अधीन प्रलाभों को मंजूर करने के लिए कलक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी;

(घ) "परिवार नियोजन" से अभिप्रेत है, बालिका की माता की दशा में ट्यूबेक्टोमी शल्य क्रिया और पिता की दशा में वेसेक्टोमी शल्य क्रिया अथवा अन्य विहित उपाय;

(ङ) "बालिका" से अभिप्रेत है, ऐसी बालिका जो धारा ५ के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हो;

(च) "निधि" से अभिप्रेत है, धारा ६ के अधीन गठित निधि;

(छ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ज) "लाड़ली लक्ष्मी योजना" से अभिप्रेत है, प्रशासनिक आदेश द्वारा १ अप्रैल, २००७ से राज्य में चल रही योजना;

(झ) "माता-पिता" से अभिप्रेत है, बालिका के नैसर्गिक माता-पिता या दत्तक पुत्री की दशा में उसके दत्तक माता-पिता और यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं तो उसका विधिक संरक्षक या अनाथ बालिका की दशा में उस अनाथालय या शिशु संरक्षण संस्था का अधीक्षक, जहां कि बालिका को प्रवेश दिया गया है;

(ञ) "रजिस्ट्रीकरण केन्द्र" से अभिप्रेत है, हितग्राहियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थापित केन्द्र;

(ट) "योजना" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन धनीय और अन्य लाभ, यदि कोई हों, उपलब्ध कराने के उपबंध.

रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्ववर्ती शर्तें.

३. कोई भी बालिका इस योजना के अधीन रजिस्ट्रीकरण की हकदार होगी, यदि—

(एक) उसके माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और आय-कर दाता नहीं हैं और यदि रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् माता-पिता आयकर दाता बन जाते हैं तो भी बालिका इस योजना के अधीन लाभ प्राप्त करती रहेगी;

(दो) माता-पिता ने द्वितीय जीवित बच्चे के पश्चात् परिवार नियोजन अपना लिया है;

(तीन) वह आंगनवाड़ी केन्द्र में नामांकित है; और

(चार) वह किसी ऐसी अन्य शर्त की पूर्ति करती हो, जो कि विहित की जाए.

हितग्राहियों का रजिस्ट्रीकरण तथा सत्यापन.

४. (१) माता-पिता, बालिका के जन्म या दत्तकग्रहण या उत्तराधिकार के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकरण केन्द्र में रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसी रीति में आवेदन करेंगे जैसी की विहित की जाए.

(२) रजिस्ट्रीकरण केन्द्र का भारसाधक अधिकारी आवेदन के प्राप्त होने पर, उसमें अंतर्विष्ट विषय-वस्तु का सत्यापन करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी के पास उसे अग्रेषित करेगा.

(३) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (२) के अधीन भारसाधक अधिकारी से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् या तो उसे दर्ज करेगा और आश्वासन प्रमाण-पत्र जारी करेगा या आवेदन को अस्वीकार करेगा.

लाभ.

५. (१) हितग्राही धारा ४ के अधीन जारी आश्वासन प्रमाण-पत्र के अनुसार एक लाख अठारह हजार रुपए की राशि उपधारा (२) और (३) के अनुसार प्राप्त करने की हकदार होगी.

(२) हितग्राही निम्नलिखित राशि समय-समय पर प्राप्त करने का हकदार होगा,—

(एक)	कक्षा ६ठी में प्रवेश लेने के समय पर	रुपए २०००
(दो)	कक्षा ९वीं में प्रवेश लेने के समय पर	रुपए ४०००
(तीन)	कक्षा ११वीं में प्रवेश लेने के समय पर	रुपए ६०००
(चार)	कक्षा १२वीं में प्रवेश लेने के समय पर	रुपए ६०००

(३) हितग्राही को रुपए एक लाख की रकम का भुगतान २१ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर किया जाएगा बशर्ते कि वह यथाविहित शर्तों को पूर्ण करती हो.

मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि का गठन.

६. (१) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि के नाम से एक निधि गठित तथा संधारित करेगी, जिसे हितग्राहियों को धनीय लाभ संवितरण करने के लिए ऐसी रीति में उपयोजित की जाएगी जैसी की विहित की जाए.

(२) राज्य सरकार द्वारा, प्रति हितग्राही इस निधि में, उसके रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् तीस हजार रुपए जमा किए जाएंगे.

निदेश जारी करने की शक्ति.

७. राज्य सरकार को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निदेश जारी करने की शक्ति होगी.

विवाद समाधान. ८. कोई भी विवाद उद्‌भूत होने पर कलक्टर को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा.

नियम बनाने की शक्ति. ९. (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति. १०. इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दो वर्ष के भीतर, राजपत्र में प्रकाशित इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत साधारण या विशेष आदेश द्वारा कठिनाई को दूर कर सकेगी.

व्यावृत्ति. ११. इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को राज्य की विद्यमान मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त बालिकाएं इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी जाएंगी तथा योजना के अधीन लाभ की हकदार होंगी.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2018

क्र. 12719-259-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, २०१८ (क्रमांक 29 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 29 OF 2018

THE MADHYA PRADESH LADLI LAXMI (BALIKA PROTSAHAN) ADHINIYAM, 2018

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Conditions precedent for registration.
4. Registration and verification of beneficiaries.
5. Benefits.
6. Constitution of Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojna Nidhi.
7. Power to issue directions.
8. Dispute resolution.
9. Power to make rules.
10. Power to remove difficulties.
11. Saving.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 29 OF 2018

THE MADHYA PRADESH LADLI LAXMI (BALIKA PROTSAHAN) ADHINIYAM, 2018

[Received the assent of the Governor on the 16th July, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 31st July, 2018.]

An Act to provide for special rights to female children so as to enable them to realize their potential, create a social environment in which parents and society cherish female child and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Ladli Laxmi (Balika Protsahan) Adhiniyam, 2018.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "beneficiary" means the female child who is registered and is eligible for benefits under the Scheme;

(b) "certificate of assurance" means the certificate issued to authenticate and assure the benefit in favour of the beneficiary;

(c) competent authority" means an officer authorised by the Collector to grant sanction of the benefits under the Scheme;

(d) family planning" means tubectomy operation in case of the mother and vasectomy operation in case of the father of the female child or other prescribed measures;

(e) "female child" means a female child who is eligible to get the benefits under section 5;

(f) "Fund" means the fund setup under section 6;

(g) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(h) "Ladli Laxmi Yojna" means the Scheme running in the State with effect from 1st April, 2007 by the administrative order;

(i) "parents" means the natural parents of the female child or in case of adopted daughter, her adoptive parents, and if no parent is alive the legal guardian or in case of orphan, the superintendant of orphanage or child care institution where the female child is admitted;

(j) "registration centre" means a centre established for the registration of the beneficiaries;

(k) "Scheme" means the provisions of providing pecuniary and other benefits, if any, under this Act and the rules made thereunder.

Conditions precedent for registration.

3. A female child shall be entitled to registration under the Scheme if:

(i) the parents are bonafide residents of Madhya Pradesh and are not income tax payee, in case the parents have become income tax payee after the registration, the female child shall continue to get the benefits under the Scheme;

(ii) the parents have adopted family planning after second surviving child;

(iii) she is enrolled in the Aaganwadi centre; and

(iv) she fulfils any other condition that may be prescribed.

Registration and verification of beneficiaries.

4. (1) The parent shall submit application for registration in such manner as may be prescribed at the registration centre within a year of birth or adoption or succession of successor female child.

(2) The officer incharge of registration centre shall on receipt of the application, verify the contents therein and shall forward the same to the competent authority.

(3) The competent authority shall after receiving the application from the officer incharge under sub-section (2) above, either register and issue assurance certificate or reject the application.

Benefits

5. (1) The beneficiary shall be entitled to a sum of one lac eighteen thousand rupees under sub-sections (2) and (3), as per the certificate of assurance issued under section 4.

(2) The beneficiary shall be entitled to receive the following sums from time to time as below :—

(i)	At the time of admission to class 6th	–	Rs. 2000
(ii)	At the time of admission to class 9th	—	Rs. 4000
(iii)	At the time of admission to class 11th	—	Rs. 6000
(iv)	At the time of admission to class 12th	—	Rs. 6000

(3) The beneficiary shall be paid an amount of one lac rupees on attaining the age of 21 years provided she fulfils the conditions as prescribed.

Constitution of Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojna Nidhi.

6. (1) The State Government shall constitute and maintain a Fund known as Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojna Nidhi which shall be utilized for disbursing pecuniary benefits to the beneficiary in such manner as may be prescribed.

(2 A sum of thirty thousand rupees shall be deposited by the State Government in the Fund for each beneficiary after her registration.

Power to issue directions.

7. The State Government shall have powers to issue directions for carrying out the provisions of this Act and the rules made thereunder.

Dispute resolution

8. Any dispute arising shall be referred to the Collector whose decision shall be final.

Power to make rules.

9. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Power to remove difficulties.

10. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, within two years of the commencement of this Act, by general or special order, published in the official Gazette, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty.

Saving

11. All female children registered under the Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojna of the State prevailing as on the date of commencement of this Act shall be deemed to have been registered under this Act and shall be entitled to the benefit under the Scheme.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.